संख्या-144/2016/आर-3182/26-3-2016-4(358)/07टी.सी.।।।

प्रेषक,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2-निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः- 20 जुलाई, 2016

विषयः-वाह्य प्रदेश दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत नवीन संस्थाओं को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित करने हेतु निर्धारित समय-सारिणी (दिनांक-15.07.2016) में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1399/स.क./शिक्षा-अ/2016-17, दिनांक-15.07.2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- निदेशालय, समाज कल्याण के उक्त पत्र दिनांक-15.07.2015 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/प्रस्ताव पर सम्यक्विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-99/2016/आर-1338(1)/26-3-2016, दिनांक-30.04.2016 द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिये निर्गत समय-सारिणी के क्रम संख्या-1 पर प्रक्रियात्मक कार्यवाही हेतु निर्धारित तिथि दिनांक-15.07.2016 को बढ़ाकर दिनांक-31.07.2016 तक किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। शेष अन्य प्रक्रियात्मक कार्यवाही हेतु निर्धारित की गयी तिथि पूर्ववत् रहेगी।

3- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों एवं उपरोक्त संशोधित समय-सारिणी के अनुसार शैक्षिक सत्र 2016-17 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

पृ0सं0-144/2016/आर-3182(1)/26-3-2016 तद्दिनंाकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
5- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
6- कुल सचिव, अब्दुल कलाम, तकनीकी विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई योजना भवन, लखनऊ।
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in